TPADL

TP AJMER DISTRIBUTION LIMITED

CEO Cell/TPADL/2019-20/19 Date : 02-11-2019

आदेश

TCOS-2004 की धारा 45 एवं डीएफ एग्रीमेन्ट के क्लॉज नं. 5.7.5 (बी) की अनुपालना में विद्युत अधिनियम की धारा 126/135 के तहत दिनांक 01.07.2017 के बाद दर्ज किये गये मामलों से संबंधित विवादों का समाधान /निस्तारण हेतु वृत्त /कॉर्पोरेट स्तर पर गठित समितियों का विवरण निम्नानुसार है :–

1. विद्युत अधिनियम की धारा 126 के तहत दर्ज मामले टीसीओएस के वाक्य 45 उपवाक्य A (2) में विहित प्रक्रिया एवं प्रावधानुसार निस्तारित किये जायेगें अर्थात्

फेन्चाईजी क्षेत्र हेतु फेन्चाईजी के अधिकारियों जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 126 के अन्तर्गत विद्युत के अनाधिकृत मामलों में कार्यवाही का अधिकार प्रदान किया गया है। ऐसा मामला पाये जाने पर टीसीओएस में वर्णित प्रक्रिया अपनाई जाकर वाक्य 45 A (2) (d) के अन्तर्गत उस प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनन्तिम (Provisional) निर्धारित किया जावेगा।

उपभोक्ता को इस अनन्तिम (Provisional) निर्धारण के विरूद्ध सात दिवसों की अवधि में आपत्ति दर्ज करने का अधिकार है एवं वह ऐसा करता है तो ऐसा प्राधिकृत अधिकारी उपभोक्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए 30 दिवसों की अवधि के भीतर अंतिम निर्धारण का आदेश पारित करेगा।

उपभोक्ता अंतिम निर्धारण आदेश के विरूद्ध भी 30 दिवसों की अवधि में अभ्यावेदन टीसीओएस के वाक्य 45 A (2) (k) में वर्णित अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष विहित प्रक्रियानुसार अपील दायर कर सकता है।

2. **विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत विद्युत चोरी के मामलों में भरी गई वीसीआर के विरूद्ध वीसीआर रिव्यूईंग कमेटी का गठन निम्नानुसार किया जाता है :–**

वृत्त स्तरीय वीसीआर रिव्यूईंग, मॉनिटरिंग एवं सुनवाई कमेटी वित्तीय सीमा 3 लाख रूपये के मामलों तक शुल्क 500/– रूपये

समिति के सदस्य :–

क्र.स.	पद	पद
1.	चीफ फाईनेन्स ऑफिसर, टीपीएडीएल, अजमेर	अध्यक्ष
2.	ग्रुप हेड रेवेन्यू, टीपीएडीएल, अजमेर	सदस्य सचिव
3.	एडवाईजर कॉमर्शियल टीपीएडीएल, अजमेर	सदस्य
4.	लीड एसोसिएट रेवेन्यू, टीपीएडीएल, अजमेर	सदस्य
5.	संबंधित जोनल मैनेजर/ हेड कॉर्पोरेट मॉनिटरिंग ग्रुप	सदस्य
6.	एडवाईजर	स्वतंत्र सदस्य

कॉर्पोरेट स्तर वीसीआर रिव्यूईंग, मॉनिटरिंग एवं सुनवाई कमेटी वित्तीय सीमा 3 लाख रूपये से अधिक के मामलों तक

शुल्क 1000/– रूपये

समिति के सदस्य :–

क्र.स.	अधिकारी	पद
1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, टीपीएडीएल, अजमेर	अध्यक्ष
2.	चीफ फाइनेन्स ऑफिसर, टीपीएडीएल, अजमेर	सदस्य सचिव
3.	चीफ कॉमर्शियल, टीपीएडीएल, अजमेर	सदस्य
4.	चीफ ऑपरेशन्स्, टीपीएडीएल, अजमेर	सदस्य
5.	हेड कॉर्पोरेट अफेयर्स, टीपीएडीएल, अजमेर	सदस्य
6.	एडवाईजर कॉमर्शियल टीपीएडीएल, अजमेर	सदस्य
7.	एडवाईजर	स्वतंत्र सदस्य

TPADL

TP AJMER DISTRIBUTION LIMITED

<u>सम्पर्क हेतु सूचना</u> :–

टीपी अजमेर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, 33 केवी सब स्टेशन बिल्डिंग, वैशाली नगर, अजमेर – 305004, राजस्थान	**सुश्री तृप्ति गौतम,** **मोबाईल नं. 7665251888** **(नोडल अधिकारी)**

1. आवश्यकतानुसार विंग / अन्य विंग के अधिकारी समिति में आमंत्रित सदस्य होगें।
2. कमेटी को यह अधिकार होगा कि विवाद के निस्तारण हेतु यदि आवश्यक समझे तो अधिकारी को विवादित स्थल पर भेजकर रिपोर्ट मंगवाई जा सकेगी एवं उपलब्ध सामग्री / विवेचना से निर्णय ले सकेगी। कमेटी के लिये यह भी वांछनीय होगा कि यह प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दें।
3. सदस्य सचिव कमेटी का सम्पूर्ण कार्य सुचारू रूप से संचालन, दस्तावेज रखरखाव, रिपोर्टिंग, उपभोक्ता संवाद सुनिश्चित करेगें।
4. मॉनिटरिंग, रिव्यूइंग एवं सुनवाई कमेटी की बैठक के लिये समिति के अध्यक्ष सहित कम से कम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।

(गजानन काले)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
टीपीएडीएल, अजमेर

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् संभागीय मुख्य अभियन्ता (H.Q./A/Z) अविविनिलि., अजमेर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (प्रोजेक्ट), अविविनिलि., अजमेर।
3. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता (अ.श.वृ.), अविविनिलि., अजमेर।
4. श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अविविनिलि., अजमेर।
5. श्रीमान् प्रावैधिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक, अविविनिलि., अजमेर।
6. श्रीमान् प्रावैधिक सहायक, निदेशक (तकनीकी), अविविनिलि, अजमेर।
7. श्रीमान् निजी सचिव, निदेशक (वित्त), अविविनिलि., अजमेर।
8. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता (लीगल), अविविनिलि., अजमेर।
9. All Chiefs of TPADL, Ajmer.
10. नोटिस बोर्ड।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
टीपीएडीएल, अजमेर